



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58658

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2734/2026

ब्रह्मपाल सिंहआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अनिल कुमार मिश्रा, संदीप कुमार चौरसिया

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 467/2025, धारा 191(2), 333, 115(2), 352, 118(1), 109, 3(5) और 103(1) बी.एन.एस., 2023, थाना-मंडी धनौरा, जिला अमरोहा के अंतर्गत, अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहते हैं :-
 - i. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रारंभ में बी.एन.एस. की धारा 191(2), 333, 115(2), 351, 118(1) के तहत दर्ज की गई थी। इसके पश्चात, घायल रवि की मृत्यु होने पर मामले को बी.एन.एस. की धारा 103 के तहत अपराध में परिवर्तित कर दिया गया।
 - ii. कथित घटना में आवेदक की कोई भूमिका नहीं है।
 - iii. प्रथम सूचना रिपोर्ट पांच नामित अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी; हालांकि, आवेदक उसमें नामित नहीं है।
 - iv. घायल मोनू के बयान में भी आवेदक को चोट पहुंचाने की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं साँपी गई है।
 - v. घटना कथित तौर पर घायलों के परिवार और घायल मोनू के ससुर वंशी कश्यप के बीच पंचायत के दौरान हुई थी। आरोप है कि इसके बाद सह-अभियुक्त नेम पाल, अभिषेक, अजय, चरण सिंह, छोटू और वंशी कश्यप ने आवेदक के साथ मिलकर घायल के घर में घुसकर उसके और उसके भाई के साथ मारपीट की।
 - vi. चिकित्सा-विधिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि घायल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मोनू को दो चोटें आई थीं, जबकि मृतक को एक ही चोट लगी थी। मृत्यु का कारण मल्टी-ऑर्गन फेल्योर/मस्तिष्क की चोट के कारण सेप्टीसेमिक शॉक बताया गया है। मृतक के मस्तिष्क में हेमाटोमा (रक्त का थक्का) पाया गया था।

vii. चोटों की संख्या प्रथम सूचना रिपोर्ट और घायल के बयान में उल्लिखित अभियुक्तों की संख्या से मेल नहीं खाती है।

viii. विवेचना के दौरान एकत्र किए गए सी.सी.टी.वी. फुटेज से पता चलता है कि सह-अभियुक्त अभिषेक, सोनू और अजय कुंद हथियारों (ब्लंट वेपन्स) से लैस थे, और आवेदक को कोई प्रत्यक्ष कृत्य (overt act) नहीं सौंपा गया है।

ix. आवेदक न तो अभियुक्तों से संबंधित है और न ही घायल पक्ष से, वह मात्र एक दर्शक था जिसे झूठा फंसाया गया है।

x. आवेदक को केवल इस आधार पर फंसाया गया है कि वह अन्य अभियुक्तों के साथ पंचायत में शामिल होने गया था, जैसा कि शपथ पत्र के पैराग्राफ संख्या 27 में भी उल्लेख किया गया है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि घायल मोनू ने विशेष रूप से आवेदक को उन हमलावरों में से एक के रूप में नामित किया है जो घर में घुसे और घायल व मृतक दोनों के साथ मारपीट की। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक ने पंचायत में भाग लिया और उसके बाद हमले में शामिल रहा। यद्यपि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं था, लेकिन घायल के बयान उसकी संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बता सके।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के भाई मोनू द्वारा दर्ज कराई गई थी, जो स्वयं भी मामले में घायल है; हालांकि आवेदक उसमें नामित नहीं है। विवेचना के दौरान एकत्र किए गए सी.सी.टी.वी. फुटेज में केवल सह-अभियुक्त अभिषेक, अजय और सोनू की पहचान हथियारों से लैस व्यक्तियों के रूप में हुई है। मृतक को एक ही चोट आई थी, और घायल मोनू को आई चोटें जीवन के लिए खतरनाक नहीं पाई गई हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को कि घायल ने स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी और आवेदक को हमलावर के रूप में नामित नहीं किया था, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ।

8. आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

9. आवेदक- ब्रह्मपाल सिंह की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मुकदमा अपराध में एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;

10. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

20 मार्च, 2026

कुशल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"